

नाम : बिकाश पटनायक
पता : प्लॉट 2510-जे/2 मेट्रो लेन रवी तॉकीस, ओल्ड टाउन एस.ओ
(खोर्डा के निकट) भुवनेश्वर, पुरी ओडिशा 751002 इंडिया
फ़ोन: 91-9692360309

स्थायी खाता संख्या : CCXPP4805R | निर्धारण वर्ष : 2024-25 | पावती सं. : 720795040150724 | पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2425/A1/437912996

निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आपकी विवरणी को संसाधित किया गया है। कोई भुगतान देय नहीं है।

ITR फॉर्म का प्रकार ITR1 मूल	फाइलिंग की दिनांक 15/07/2024	सूचना आदेश की दिनांक 16/07/2024	नियत दिनांक 31/07/2024
विस्तारित नियत दिनांक 31/07/2024	स्थिति Individual	आवासीय स्थिति Resident	

आयकर विवरणी का विवरण

क्र.सं.	विवरण	रिपोर्टिंग शीर्ष	राशि (₹ में) करदाता द्वारा प्रदान किया गया	धारा 143(1) की गणना के अनुसार
01	कराधान विकल्प	के अनुसार नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना सेकंड. 115BAC(6)	No	No
02	आय का विवरण	कुल आय	2,48,070	2,48,070
03	कर का विवरण	राहत के बाद कर दायित्व	0	0
04	ब्याज और देय शुल्क	कुल ब्याज और शुल्क (234A, 234B, 234C और 234F)	0	0
05	पूर्व संदत्त कर	कुल भुगतान किया गया कर (अग्रिम कर, टी डी एस ,टी सी एस , स्व निर्धारित कर)	0	0
06	शेष		0	0
07	कुल देय राशि / देय प्रतिदाय		0	0

एन साईराज, आई.आर.एस
उप आयकर निदेशक,
सी.पी.सी., बेंगलुरु

Click here for English version

धारा 143(1) के तहत सूचना

नाम : बिकाश पटनायक

स्थायी खाता संख्या : CCXPP4805R | निर्धारण वर्ष : 2024-25 | पावती सं. : 720795040150724 | पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2425/A1/437912996

क्र.सं.	विवरण	रिपोर्टिंग शीर्ष	राशि (₹ में)	
			करदाता द्वारा प्रदान किया गया	धारा 143(1) की गणना के अनुसार
01	वेतन	(i) सकल वेतन (ia+ib+ic+id+ie)	2,98,067	2,98,067
		(a) धारा 17(1) के अनुसार वेतन	2,98,067	2,98,067
		(b) धारा 17 (2) के अनुसार अनुलब्धियों का मूल्य	0	0
		(c) धारा 17 (3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	0	0
		(d) धारा 89A के तहत अधिसूचित देश में बनाए गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	0	0
		(e) धारा 89A के तहत अधिसूचित देश के अलावा किसी अन्य देश में बनाए गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	0	0
		(ii) कम : धारा 10 के तहत छूट की सीमा	0	0
		(iia) कम : धारा 89A के तहत कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय	0	0
		(iii) कुल वेतन (i-ii-iia)	2,98,067	2,98,067
		(iv) धारा 16 के तहत कटौती (iva + ivb + ivc)	50,000	50,000
		(a) धारा 16(ia) के तहत मानक कटौती	50,000	50,000
		(b) धारा 16(ii) के तहत मनोरंजन भत्ता	0	0
		(c) धारा 16(iii) के तहत व्यावसायिक कर	0	0
		(v) 'वेतन' शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय (iii-iv)	2,48,067	2,48,067
02	गृह संपत्ति	गृह संपत्ति का प्रकार		
		(i) वर्ष के दौरान सकल किराये का प्राप्त/प्राप्य/देय मूल्य	0	0
		(ii) स्थानीय प्राधिकरणों को भुगतान किया गया कर	0	0
		(iii) वार्षिक मूल्य (i-ii)	0	0
		(iv) वार्षिक मूल्य का 30%	0	0
		(v) उधार ली गई पूंजी पर देय ब्याज	0	0
		(vi) वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया/अप्राप्त किराये 30% कम	0	0
		(vii) गृह संपत्ति के तहत प्रभार्य आय [(iii - iv - v) + vi]	0	0
03	अन्य स्रोत	अन्य स्रोतों से आय (नीचे दिए गए मदों का योग)	0	0
04		कुल सकल आय [4= (1+2+3)]	2,48,067	2,48,067
05	अध्याय VIA के तहत कटौती	कटौती		
		अध्याय VI-A के तहत कुल कटौती (उम्र दिए गए मदों का योग) (जैसा कि रिटर्न में दावा की गई राशि तक ही सीमित है)	0	0
06		कटौती के बाद कुल आय [6=(4-5)]	2,48,070	2,48,070
07	कर का विवरण	कुल आय पर देय कर	0	0
08		धारा 87A के तहत छूट	0	0
09		छूट के बाद देय कर [9=(7-8)]	0	0
10		9 पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, 4% की दर से	0	0
11		कर राहत से पहले सकल कर देयता (कुल कर और उपकर) [11=(9+10)]	0	0
12	कर राहत	धारा 89 के तहत राहत	0	0
13	कुल आयकर देयता	राहत के बाद शेष कर [13= (11-12)]	0	0
14	ब्याज और देय शुल्क	(a) धारा 234A के तहत ब्याज	0	0
		(b) धारा 234B के तहत ब्याज	0	0
		(c) धारा 234C के तहत ब्याज	0	0

धारा 143(1) के तहत सूचना

नाम : बिकाश पटनायक

स्थायी खाता संख्या : CCXPP4805R | निर्धारण वर्ष : 2024-25 | पावती सं. : 720795040150724 | पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2425/A1/437912996

क्र.सं.	विवरण	रिपोर्टिंग शीर्ष	राशि (₹ में)	
			करदाता द्वारा प्रदान किया गया	धारा 143(1) की गणना के अनुसार
15		(d) धारा 234F के तहत शुल्क	0	0
		(e) कुल ब्याज और शुल्क देय [14e={14(a)+14(b)+14(c)+14(d)}]	0	0
		कुल आयकर देय [15=(13+14e)]	0	0
16	पूर्व संदत्त कर	(a) अग्रिम कर	0	0
		(b) टी डी एस	0	0
		(c) टी सी एस	0	0
		(d) स्वतः निर्धारित कर	0	0
		(e) भुगतान किया गया कुल कर [16e = {16(a)+16(b)+16(c)+16(d)}]	0	0
17	शेष		0	0



नाम : बिकाश पटनायक

स्थायी खाता संख्या : CCXPP4805R | निर्धारण वर्ष : 2024-25 | पावती सं. : 720795040150724 | पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2425/A1/437912996

आई.टी.आर.-1-इस प्रज्ञापन आदेश में धारा 143(1)/154के तहत किसी भी अंतर के मामले में, कृपया निम्नलिखित सामान्य कारणों का संदर्भ लें:

A. आय से सम्बंधित	<p>कुल आय से संबंधित अंतर के ब्यौरे के लिए, कृपया अपनी विवरणी को प्रसंस्करण करने के दौरान सी.पी.सी. द्वारा जारी आयकर अधिनियम, 196 1 की धारा 143(1)(a) के तहत सूचना देखें। यदि आप अंतर से असहमत हैं तो आप आय की विवरणी के साथ जमा किए गए अपनी आय की विवरणी/कानूनी फ़ॉर्म को संशोधित करने पर विचार कर सकते हैं।</p>
B. करों की संगणना	<p>1. मैंने अपनी विवरणी पुरानी कर व्यवस्था के साथ जमा की थी लेकिन मेरे करों की संगणना सी.पी.सी. द्वारा जारी धारा 143(1)/154 के तहत सूचना आदेश के अनुसार नई कर व्यवस्था के अनुसार की गई है।</p> <p>इस बात की सराहना की जा सकती है कि नई कर व्यवस्था निर्धारण वर्ष 2024-25 से डिफ़ॉल्ट व्यवस्था है। नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के विकल्प का उपयोग 31.07.2024 को या उससे पहले 'ऑफ्ट आउट' विकल्प के चयन के साथ आई.टी.आर.-1 में आय की विवरणी फ़ाइल करके किया जा सकता है, जो अधिनियम की धारा 139(1) के तहत विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि है।</p> <p>1. मैंने अध्याय VI-A के तहत कटौती का दावा किया था, जिसकी आई.टी.आर.-1 में मेरी आय की विवरणी के प्रसंस्करण के समय सी.पी.सी. द्वारा अनुमति नहीं थी।</p> <p>अध्याय VI-A के तहत कटौती केवल तभी स्वीकार्य है जब करदाता पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर की पेशकश करने के लिए पात्र है। नई कर व्यवस्था के तहत, अध्याय VI-A के तहत कोई कटौती स्वीकार्य नहीं है। कृपया ध्यान दें कि नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए, करदाता को आई.टी.आर.-1 फ़ॉर्म में आवश्यक चयन करना होगा और धारा 139(1) के प्रयोजन के लिए नियत तिथि, अर्थात् 31.07.2024 के भीतर ऐसा फ़ॉर्म फ़ाइल करें।</p> <p>3. मेरी कुल आय 7 लाख रुपये से कम है, लेकिन आई.टी.आर.-1 में मेरी आय की विवरणी के प्रसंस्करण के समय सी.पी.सी. द्वारा धारा 87A के तहत छूट नहीं दी गई थी।</p> <p>नई कर व्यवस्था के तहत, उन करदाताओं को अधिकतम 25,000 रुपये की छूट उपलब्ध है, जिनकी कुल आय 7,00,000 रुपये से अधिक नहीं है। नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने वाले करदाता के लिए, अधिकतम 12,500 रुपये की छूट उन करदाताओं के लिए उपलब्ध है, जिनकी कुल आय 5, 00,000 रुपये से अधिक नहीं है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा उपकर की गणना से पहले छूट दी जाती है।</p> <p>3. सी.पी.सी. द्वारा वेतन के रूप में किसी भी राशि के बकाया या अग्रिम से संबंधित धारा 89 के तहत राहत का मेरा दावा क्यों मंजूर नहीं किया गया है?</p> <p>धारा 89 के तहत राहत एक निवासी व्यक्ति को उपलब्ध है यदि उसे प्राप्त हुआ है:</p> <p>(1) बकाया या अग्रिम में वेतन या पारिवारिक पेंशन</p> <p>(2) धारा 10(10)(ii)/(iii) के तहत छूट से अधिक उपदान</p> <p>(3) रोज़गार की समाप्ति पर मुआवज़ा</p> <p>(4) धारा 10(10A)(i) के तहत छूट से अधिक परिवर्तित पेंशन</p> <p>इसके अलावा, ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से कानूनी फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करके धारा 89 के तहत राहत का कार्य ऑनलाइन जमा करना होगा।</p> <p>5. सी.पी.सी. द्वारा संगणित मेरे कुल कर दायित्व की राशि और मेरी आय की विवरणी में मेरे द्वारा बताई गई राशि में अंतर क्यों है?</p> <p>कुल कर-देयता की संगणना एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। मूल कर दायित्व की संगणना लागू स्लैब दरों के आधार पर की जाती है। कृपया ध्यान दें कि आय की विवरणी में किए गए सुसंगत चयन के आधार पर करदाता नई कर व्यवस्था या पुरानी कर व्यवस्था के लिए पात्र है या नहीं, इसके आधार पर स्लैब दरें भिन्न होती हैं।</p> <p>इसके अलावा, कृपया उम्र दिए गए प्रश्नों में उत्पन्न अंतर या एक या अधिक बिंदुओं पर चर्चा के लिए उपर्युक्त अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें।</p> <p>इस बात की सराहना की जा सकती है कि धारा 87A के तहत छूट लागू करने के बाद कर राशि पर 4% की दर से माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर की गणना की जाती है।</p>
C. ब्याज और शुल्क की संगणना	<p>1. मुझसे धारा 234A के तहत ब्याज क्यों प्रभारित किया गया है?</p> <p>यदि करदाता अपनी आय की विवरणी धारा 139(1) के तहत निर्धारित नियत तिथि या विस्तारित नियत तिथि, जैसी भी स्थिति हो, के बाद फ़ाइल करता है, तो नियत तिथि पर करदाता द्वारा देय कर की राशि पर धारा 234A के तहत 1% प्रति माह या महीने के भाग पर प्रभारित किया जाएगा। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि करदाता द्वारा अपनी आय की विवरणी फ़ाइल करते समय धारा 234A के तहत ब्याज सही से संगणित किया जाए।</p> <p>2. मुझसे धारा 234B और/या 234C के तहत ब्याज क्यों प्रभारित किया गया है?</p> <p>यदि करदाता अग्रिम कर के रूप में राहत के बाद कुल कर देयता का कम से कम 90% भुगतान करने में विफल रहता है तो धारा 234B के तहत ब्याज लगाया जाएगा। ब्याज निर्धारण वर्ष की 143 अप्रैल से धारा 1(1) के तहत कुल आय के निर्धारण की तिथि तक की अवधि में समाविष्ट प्रत्येक महीने या एक महीने के हिस्से के लिए 1% की दर से संगणित किया जाता है, जिस राशि से पूर्वोक्त रूप में भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर से कम होता है। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि करदाता द्वारा अपनी आय की विवरणी फ़ाइल करते समय धारा 234B के तहत ब्याज सही से संगणित किया जाए।</p>

नाम : बिकाश पटनायक

स्थायी खाता संख्या : CCXPP4805R | निर्धारण वर्ष : 2024-25 | पावती सं. : 720795040150724 | पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2425/A1/437912996

अग्रिम कर की किश्तों को स्थगित करने पर धारा 234C के तहत ब्याज लिया जाएगा अर्थात् आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 211 में प्रदान की गई निर्धारित दरों पर अग्रिम कर की किश्तों का भुगतान करने में विफलता। पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए संबंधित किश्त राशि पर 3% और पूर्व वर्ष की चौथी तिमाही के लिए 1% की दर से प्रभारित किया जाएगा। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि करदाता द्वारा अपनी आय की विवरणी फ़ाइल करते समय धारा 234C के तहत ब्याज सही से संगणित किया जाए।

3. मुझसे धारा 234f के तहत शुल्क क्यों प्रभारित किया गया है?

यदि करदाता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक करता है तो धारा 234F के तहत शुल्क प्रभारित किया जाएगा। यदि कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक है तो धारा 234F के तहत 5,000/- रुपये की राशि शुल्क के रूप में प्रभारित की जाती है। अन्य मामलों में, धारा 234F के तहत 1,000 रुपये की राशि शुल्क के रूप में लगाई जाएगी। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि करदाता द्वारा अपनी आय की विवरणी फ़ाइल करते समय धारा 234F के तहत शुल्क सही से संगणित किया जाए।

D. कर भुगतान सम्बंधित

1. धारा 143(1)/154 के तहत मेरे प्रज्ञापन आदेश में स्रोत पर काटे गए करों के संबंध में विसंगति क्यों है?

करदाताओं से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि आई.टी.आर.-1 फ़ॉर्म की अनुसूची TDS1 और अनुसूची TDS2 में उल्लिखित टी.डी.एस. ब्यौरा पूर्ण हैं और कटौतीकर्ता द्वारा जारी फ़ॉर्म 26AS/टी.डी.एस. प्रमाण-पत्र/Form16 में दर्शाए गए ब्यौरे के समरूप हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि कटौतीकर्ता का टैन आई.टी.आर.-1 फ़ॉर्म में सुसंगत फ़्रील्ड में सही ढंग से दर्ज किया गया है।

- आपके फ़ॉर्म 26AS में त्रुटियाँ या चूक कई कारणों से हो सकती हैं, जैसे:
- कटौतीकर्ता द्वारा टी.डी.एस. विवरणी फ़ाइल नहीं करना
 - कटौतीकर्ता द्वारा टी.डी.एस. का भुगतान नहीं करना
 - गलत निर्धारण वर्ष या गलत पैन का उल्लेख (या कोई पैन नहीं)
 - जमा की गई टी.डी.एस. विवरणी में गलत चालान विवरण
 - कटौतीकर्ता द्वारा टी.डी.एस. विवरणी में या बैंक द्वारा अपलोड किए गए ब्यौरे में चालान ब्यौरा गलत उद्धृत किया गया है

- आप अपने फ़ॉर्म 26AS में विवरण को सही करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई कर सकते हैं:
- 1) केवल उन रिकॉर्ड्स के लिए सुधार ब्यौरा (एन.एस.डी.एल. वेबसाइट के माध्यम से) प्रदान करें जिनमें सुधार की आवश्यकता है।

2) कटौतीकर्ता (उदाहरण के लिए, आपका नियोक्त) द्वारा की गई गलती के मामलों में, आपको कटौतीकर्ता से संपर्क करना चाहिए और उनसे अनुरोध करना चाहिए:
- यदि टी.डी.एस. विवरणी अभी भी लंबित है तो उसे फ़ाइल करें
 - यदि उन्होंने गलत ब्यौरा/गलत या बिना पैन के विवरणी फ़ाइल किया है तो संशोधित टी.डी.एस. विवरणी प्रस्तुत करें
 - यदि बैंक द्वारा कोई गलती की गई है (उदाहरण के लिए, कर राशि, पैन में), तो आपको बैंक से अपलोड किए गए चालान ब्यौरे में इसे सुधारने का अनुरोध करना चाहिए

यह ध्यान दिया जा सकता है कि करदाता को उन कर कटौती के लिए कर क्रेडिट नहीं मिलेगा जो फ़ॉर्म 26AS में प्रतिबिंबित नहीं हैं।

करदाता द्वारा स्वयं से काटे गए टी.डी.एस. को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करते समय, करदाता को टी.डी.एस. अनुसूचियों में जहां भी आवश्यक हो, पैन और अन्य सुसंगत ब्यौरे का सही ढंग से उल्लेख करना चाहिए।

2. मैंने अग्रिम कर/स्व निर्धारण कर का भुगतान किया है लेकिन सी.पी.सी. सूचना के अनुसार ऐसे कर भुगतान के लिए क्रेडिट की अनुमति नहीं दी गई है।

करदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्व निर्धारण कर के संबंध में कर भुगतान का ब्यौरा आई.टी.आर.-1 फ़ॉर्म की अनुसूची 1A में सटीक रूप से रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

इसमें अग्रिम/स्व निर्धारण कर भुगतान चालान ब्यौरा शामिल हैं जैसे:

क्रमांक कर भुगतान की तिथि बी.एस.आर. कोड राशि

स्व निर्धारण कर के संबंध में, करदाताओं से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि स्व निर्धारण कर भुगतान का ब्यौरा आई.टी.आर.-1 फ़ॉर्म की अनुसूची 1A में उल्लिखित हैं। केवल स्व निर्धारण कर का भुगतान कर अनुपालन को समाप्त कर देता है, लेकिन स्व निर्धारण कर भुगतान ब्यौरे को आई.टी.आर.-1 फ़ॉर्म की अनुसूची 1A में सूचित किया जाना चाहिए।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि करदाता को उन कर भुगतानों के लिए कर क्रेडिट नहीं मिलेगा जो आई.टी.आर.-1 फ़ॉर्म में रिपोर्ट नहीं किए गए/गलत तरीके से रिपोर्ट किए गए हैं।

Intimation u/s 143(1)



Name : BIKASH PATTNAIK
Address : plot 2510-j/2 metro lane near ravi talkies, Old Town S.O (Khorda)
Bhubaneswar, PURI Orissa 751002 INDIA
Ph : 91-9692360309

नाम : बिकाश पटनायक
पता : प्लॉट 2510-जे/2 मेट्रो लेन रवी तॉकीस, ओल्ड टाउन एस.ओ
(खोर्डा के निकट) भुवनेश्वर, पुरी ओडिशा 751002 इंडिया
फ़ोन: 91-9692360309

PAN : CCXPP4805R | AY : 2024-25 | Ack. No. : 720795040150724 | DIN : CPC/2425/A1/437912996

Your Return for A.Y. 2024-25 has been processed.
There is no payment due.

ITR Form Type	Date of Filing	Intimation Order Date	Due Date
ITR1 Original	15/07/2024	16/07/2024	31/07/2024
Extended Due Date	Status	Residential status	
31/07/2024	Individual	Resident	

RETURN DETAILS

Sl.No.	Particulars	Reporting Heads	Amount in ₹	
			As provided by Taxpayer	As Computed u/s 143(1)
01	Taxation option	Opting Out of New Tax Regime as per sec. 115BAC(6)	No	No
02	Income Details	Total Income	2,48,070	2,48,070
03	Tax Details	Tax Liability after relief	0	0
04	Interest and Fee Payable	Total Interest And Fee (234A, 234B, 234C & 234F)	0	0
05	Pre-paid Taxes	Total Taxes Paid (Advance Tax, TDS, TCS, Self Assessment Tax)	0	0
06	Balance		0	0
07	Net Amount Payable / Refundable		0	0

N SAYIRAJ, I.R.S
Deputy Director of Income Tax,
CPC, Bengaluru

Intimation u/s 143(1)



Name	: BIKASH PATTNAIK				
PAN	: CCXPP4805R		AY	: 2024-25	
			Ack. No.	: 720795040150724	
			DIN	: CPC/2425/A1/437912996	

Sl.No.	Particulars	Reporting Heads	Amount in ₹	
			As provided by Taxpayer	As Computed u/s 143(1)
01	SALARY	(i) Gross salary (ia+ib+ic+id+ie)	2,98,067	2,98,067
		(a) Salary as per section 17(1)	2,98,067	2,98,067
		(b) Value of perquisites as per section 17(2)	0	0
		(c) Profit in lieu of salary as per section 17(3)	0	0
		(d) Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A	0	0
		(e) Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A	0	0
		(ii) Less : Allowances to the extent exempt u/s 10	0	0
		(iia) Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A	0	0
		(iii) Net salary (i-ii-iia)	2,98,067	2,98,067
		(iv) Deduction u/s 16 (iva+ivb+ivc)	50,000	50,000
		(a) Standard deduction u/s 16 (ia)	50,000	50,000
		(b) Entertainment allowance u/s 16 (ii)	0	0
		(c) Professional tax u/s 16(iii)	0	0
		(v) Income chargeable under the head 'Salaries' (iii-iv)	2,48,067	2,48,067
02	HOUSE PROPERTY	Type of House Property		
		(i) Gross rent received/receivable/lettable value during the year	0	0
		(ii) Tax paid to local authorities	0	0
		(iii) Annual value (i-ii)	0	0
		(iv) 30% of annual value	0	0
		(v) Interest payable on borrowed capital	0	0
		(vi) Arrears/ Unrealized rent received during the year less 30%	0	0
		(vii) Income chargeable under the head 'House Property' [(iii-iv-v)+vi]	0	0
03	OTHER SOURCES	Income from other sources (sum of the items below)	0	0
04		Gross Total Income [4=(1+2+3)]	2,48,067	2,48,067
05	DEDUCTION UNDER CHAPTER VIA	Deductions (u/s)		
		Total deductions under chapter VI-A (sum of the items above) (As restricted to the amount claimed in the return)	0	0
06		Total income after deductions [6=(4-5)]	2,48,070	2,48,070
07	TAX DETAILS	Tax payable on total income	0	0
08		Rebate u/s 87A	0	0
09		Tax after rebate [9=(7-8)]	0	0
10		Health and education cess @4% on 9	0	0
11		Gross tax liability before tax relief (total tax and cess) [11=(9+10)]	0	0
12	TAX RELIEF	Relief u/s 89	0	0
13	TOTAL INCOME TAX LIABILITY	Balance tax after relief [13=(11-12)]	0	0
14	INTEREST AND FEE PAYABLE	(a) Interest u/s 234A	0	0
		(b) Interest u/s 234B	0	0
		(c) Interest u/s 234C	0	0
		(d) Fee u/s 234F	0	0

Intimation u/s 143(1)

Name : BIKASH PATTNAIK

PAN : CCXPP4805R | AY : 2024-25 | Ack. No. : 720795040150724 | DIN : CPC/2425/A1/437912996

Sl.No.	Particulars	Reporting Heads	Amount in ₹	
			As provided by Taxpayer	As Computed u/s 143(1)
		(e) Total interest and fee payable [14e={14(a)+14(b)+14(c)+14(d)}]	0	0
15		Aggregate income tax liability [15=(13+14e)]	0	0
16	TAXES PAID	(a) Advance tax	0	0
		(b) TDS	0	0
		(c) TCS	0	0
		(d) Self assessment tax	0	0
		(e) Total tax paid [16e={16(a)+16(b)+16(c)+16(d)}]	0	0
17	Balance		0	0



Intimation u/s 143(1)



Name	: BIKASH PATTNAIK		
PAN	: CCXPP4805R		AY : 2024-25
Ack. No.	: 720795040150724		DIN : CPC/2425/A1/437912996

ITR-1: In case of any variance in this intimation order u/s 143(1) /154 vis-a-vis your return of income, please refer to following common reasons:

A. Income related	For details of variance pertaining to total income Income-tax Department please refer to notice u/s 143(1)(a) of the Income-tax Act, 1961 issued the by Income-tax Department during the course of processing your return. You may consider revising your return of income/statutory form submitted along with the return of income if you disagree with the variance.
B. Computation of taxes	<p>1. I submitted my return with old tax regime but my taxes have been computed as per new tax regime as per intimation order u/s 143(1) /154 issued by the Income-tax Department.</p> <p>It may be appreciated that the new tax regime is the default regime from AY2024-25 onwards. The option to opt-out of new tax regime can be exercised by filing the return of income in ITR-1 with the selection of 'Opt-out' option on or before 31.07.2024 which is the due date for filing of return u/s 139(1) of the Act.</p> <p>2. I claimed deductions under Chapter VI-A which were not allowed by the Income-tax Department at the time of processing my return of income in ITR-1.</p> <p>The deductions under Chapter VI-A are allowable only if the taxpayer is eligible to offer tax under the old tax regime. Under the new tax regime, no deductions under Chapter VI-A are allowable. Please note that in order to opt-out of new tax regime, the taxpayer must make the necessary selection in the ITR-1 form and file such form within the due date for the purpose of section 139(1), i.e. 31.07.2024.</p> <p>3. My total income is less than Rs 7 lacs, but rebate under section 87A was not granted by the Income-tax Department at the time of processing my return of income in ITR-1.</p> <p>Under the new tax regime, rebate subject to a maximum of Rs 25,000 is available to taxpayers whose total incomes do not exceed Rs 7,00,000. For taxpayer opting out of new tax regime, a rebate amounting to a maximum of Rs 12,500 is available to taxpayer whose total incomes do not exceed Rs 5,00,000. The rebate is given before calculating secondary and higher secondary education cess.</p> <p>4. Why has been my claim of relief u/s 89 relating to arrears or advance of any sum in the nature of salary not been granted by the Income-tax Department?</p> <p>Relief under section 89 is available to a resident individual if he has received:</p> <p>(1) Salary or family pension in arrears or in advance</p> <p>(2) Gratuity in excess of exemption under section 10(10)(ii)/(iii)</p> <p>(3) Compensation on termination of employment</p> <p>(4) Commuted pension in excess of exemption under section 10(10A)(i)</p> <p>Further, a working of relief u/s 89 has to be submitted online by filing statutory form 10E through eFiling portal.</p> <p>5. Why is there a different in the amount of my total tax liability computed by the Income-tax Department vis-a-vis the amount reported by me in my return of income?</p> <p>Computation of total tax-liability is a step-by-step process. Basic tax liability is computed based on applicable slab rates. Please note that the slab rates differ depending on whether the taxpayer eligible for new tax regime or old tax regime depending upon relevant selection made in the return of income.</p> <p>Also, please refer to afore-mentioned FAQs for difference arising out or (of) one or more points discussed in the fore-going questions.</p> <p>It may be appreciated that secondary and higher education cess is computed at the rate of 4% on the tax amount after applying rebate u/s 87A.</p>
C. Computation of interest and fees	<p>1. Why have I been charged interest u/s 234A?</p> <p>If the taxpayer files her return of income after the due date prescribed u/s 139(1) or the extended due date as the case may be, interest u/s 234A will be charged at 1% per month or part of the month on the amount of tax payable by the taxpayer as on the due date. Hence, it is requested that interest u/s 234A is computed correctly by the taxpayer at the time of filing of her return of income.</p> <p>2. Why have I been charged interest u/s 234B and/or 234C?</p> <p>Interest u/s 234B will be charged if taxpayer fails to pay at least 90% of the total tax liability after relief as advance tax. The interest is computed at the rate of 1% for every month or part of a month comprised in the period from 1st April of the assessment year to the date of determination of total income u/s 143(1) on the amount by which the advance tax paid as aforesaid falls short of the assessed tax. Hence, it is requested that interest u/s 234B is computed correctly by the taxpayer at the time of filing of her return of income.</p> <p>Interest u/s 234C will be charged for deferment of instalments of advance tax, i.e. failure to pay instalments of advance tax at the prescribed rates provided in section 211 of the Income-tax Act, 1961. Interest will be charged at the rate of 3% respective instalment amount for each of first, second and third quarters and 1% for the fourth quarter of the previous year. Hence, it is requested that interest u/s 234C is computed correctly by the taxpayer at the time of filing of her return of income.</p> <p>3. Why have I been charged fee u/s 234F?</p> <p>Fee u/s 234F will be charged if taxpayer defaults in furnishing return of income within the prescribed time limit u/s 139(1) of the Income-tax Act, 1961. An amount of Rs.5,000/- is charged as fee u/s 234F if the total income exceeds Rs 5,00,000. In other cases, an amount of Rs 1,000 shall be levied as fee u/s 234F. Hence, it is requested that fee u/s 234F is computed correctly by the taxpayer at the time of filing of her return of income.</p>
D. Tax payment related	<p>1. Why is there a mismatch in respect of taxes deducted at source in my intimation order u/s 143(1)/154?</p> <p>Taxpayers are requested to ensure that TDS details mentioned in Sch TDS1 and Sch TDS2 of the ITR-1 form are complete and consistent with details reflecting in Form 26AS/TDS certificate/Form16 issued by the deductor. Please ensure that TAN of the deductor is correctly entered in the relevant fields in the ITR-1 form.</p> <p>Errors or omissions in your Form 26AS may happen due to several reasons, such as:</p> <ul style="list-style-type: none">. Non-filing of TDS returns by the deductor. Non-payment of TDS by the deductor

Intimation u/s 143(1)



Name : BIKASH PATTNAIK
PAN : CCXPP4805R | AY : 2024-25 | Ack. No. : 720795040150724 | DIN : CPC/2425/A1/437912996

- . Quoting of wrong AY or wrong PAN (or no PAN)
- . Incorrect challan details in the TDS returns submitted
- . Challan details wrongly quoted in the TDS return by deductor or in details uploaded by the bank

You can take the following action to correct the details in your Form 26AS:

- 1) Provide a correction statement (via NSDL website) for only those records that require correction.
- 2) In cases of a mistake made by the deductor (e.g., your employer), you should contact the deductor and request them to:
 - . File the TDS return if it is still pending
 - . Furnish a revised TDS return if they filed the return with incorrect details / wrong or no PAN
 - . If there is a mistake made by the bank (e.g., in tax amount, PAN), you should request the bank to rectify it in the challan details uploaded by the bank

It may be noted a taxpayer will not get a tax credit for tax deductions that are not reflected in the Form 26AS.

While transferring the TDS deducted in the hands of taxpayer to another Person, taxpayer should correctly mention the PAN and other relevant details wherever required in the TDS schedules.

2. I paid advance tax/self-assessment tax but the credit for such tax payment has not been allowed as per the intimation u/s 143(1) issued by the Income-tax Department.

Taxpayers must ensure that tax payment details in respect of self-assessment tax must be accurately reported in the Sch IT of the ITR-1 form.

This includes advance/self-assessment tax payment challan details such as:

- Serial No.
- Date of Tax Payment
- BSR Code
- Amount

In respect of self-assessment tax, taxpayers are requested to ensure that self-assessment tax payment details are mentioned in the Sch IT of ITR-1 form. Mere payment of self-assessment tax does conclude the tax compliance but the self-assessment tax payment details must be reported in the Sch IT of ITR-1 form.

It may be noted a taxpayer will not get a tax credit for tax payments which are not reported/incorrectly reported in the ITR-1 form.

